13.8.2024. पुकार फरीकैन उपस्थित। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व तहसीलदार रावतसर की रिपोर्ट व प्रार्थी अपीलार्थी के राजीनामा के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:35:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या : 39 / 2024 प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति

अनवान मुकदमा :–

महेन्द्र पाल पुत्र सुल्तान जाति जाट साकिन चक 2 ए.एस.एम. 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–प्रार्थी

बनाम

1. सुल्तान पुत्र आशाराम जाति जाट साकिन चक 2 ए.एस.एम. 22 ए.जी. तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री बलवन्तराम छिम्पा वकील –प्रार्थी
श्री गुरजीतसिंह वकील अप्रार्थी सं. 1
राजपेरोकार अप्रार्थी सं. – 2

निर्णय दिनांक 13.08.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वकील प्रार्थी ने दिनांक 14.06.2024 को विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृति इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थी के नाम से चक 2 ए.एस.एम. के खाता स0 55 के प0 न0 170 / 388 (4) के किला न0 12, 13, 18, 19, 22, 23 की कुल 1.5180 है0 भुमि खातेदारी दर्ज कागजात है। अप्रार्थी स0 1 सुलतान के नाम से चक 2 ए.एस.एम. के खाता स0 56 के प0 न0 170 / 388(4) के किला न0 24 / 2 की 0.1940 है0 प0 न0 170 / 389 (5) के किला न0 4 ता 7, 14, 15 की 1.5180 है0 कुल 1.7120 है0 खातेदारी कृषि भुमि दर्ज कागजात है। प्रार्थी को उक्त भुमि में आने जाने के लिए कोई भी सरकारी मंजूरशुदा रास्ता नजदीक में नही लगता है इसलिए प्रार्थी अप्रार्थी स0 1 सुल्तान के नाम की भुमि चक 2 ए.एस.एम. के प0 न0 170 / 388 (4) के किला न0 24 / 2 की 0.002 है0 दक्षिणी पश्चिमी कोणा व प0 न0 170 / 389 (5) के किला न0 4 की 0.018 है0 उतरी, 5 की 0.018 है0 उतरी से व अपनी भुमि प0 न0 170 / 388 (4) के किला न0 23 की 0.018 है0 दक्षिणी कुल 0.056 है0 भुमि पुर्व से पश्चिम लम्बाई में आवागमन हमेशा से लगातार करता आ रहा है तथा यही प्रार्थी के लिए सुविधाजनक रास्ता है तथा यह रास्ता सिधे सरकारी मंजुरशुदा रास्ता / सड़क से जुडता है तथा प्रार्थी को अपनी भुमि के लिये रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी उक्त रास्ता की भूमि के बदले रूपये देने को तैयार है। उक्त रास्ता मंजूरशुदा नही है जिससे उत्साहित होकर अप्रार्थी स0 1 उक्त रास्ता को बन्द करने की योजना बना रहा है तथा व रास्ता को कभी भी अवरूद्ध कर सकते है जिस [illegible] प्रार्थी अपनी भुमि में बोई गई फसल में पहुच नही सकता है इसलिए प्रार्थी [illegible] आवा [illegible] शुदा रास्ता को मंजूर करवाने का अधिकारी है तथा [illegible] को कई मर्तबा कहा कि वह उक्त आ [illegible] शुदा रास्ता को मंजूर करवा दें तथा रास्ता की भूमि के बदले रूपये प्राप्त कर लें लेकिन वह कुछ दिन तो [illegible] कल आज कल करते रहे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:35:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Scanned with OKEN Scanner

बिल आखिर दिनांक 13/6/2024 बमुकाम चक 2 ए.एस.एम. तहसील रावतसर में कतई इन्कार हो गये लिहाजा यही बिनाय मुखासमत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजों की सूची मय दस्तावेज नकल जमाबन्दी 2 एएसएम बहक महेन्द्रपाल, 2 एएसएम बहक सुल्तान पेश किये।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 18.06.2024 को प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया। मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र के पक्षकारान आपस में चिपते पड़ौसी है जिन्होने घरू तौर पर राजीनामा कर लिया है। राजीनामा के मुताबिक चक 2 ए.एस.एम. के प0 न0 170/388 (4) के किला न0 24/2 की 0.002 है0 दक्षिणी पश्चिमी कोणा व प0 न0 170/389 (5) के किला न0 4 की 0.018 है0 उतरी, 5 की 0.018 है0 उतरी व प0 न0 170/388 (4) के किला न0 23 की 0.018 है0 दक्षिणी कुल 0.056 है0 भूमि में गैर मुमकिन रास्ता मंजूर किये जाने में पक्षकारान सहमत है। तहसीलदार राजस्व रावतसर से रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार राजस्व पल्लू ने अपने पत्रांक 490 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकुलाए फरिकेन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। दूसरी तरफ राजपेरोकार ने अपनी बहस में रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड व तहसीलदार की रिपोर्ट आदि के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुऐ चक 2 ए.एस.एम. के प0 न0 170/388 (4) के किला न0 24/2 की 0.002 है0 दक्षिणी पश्चिमी कोणा व प0 न0 170/389 (5) के किला न0 4 की 0.018 है0 उतरी, 5 की 0.018 है0 उतरी व प0 न0 170/388 (4) के किला न0 23 की 0.018 है0 दक्षिणी कुल 0.056 है0 भूमि में गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड अमलदरामद हेतु तहसीलदार राजस्व रावतसर को पत्र लिखा जावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास आज दिनांक 13.8.2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.08.28 18:35:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner